संख्या- **5/1487 ई-1/तेरह-14-499(02)/2011**

प्रेषक,

मधु माथुर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः नवम्बर, 2014

विषयः- जनपद आगरा में बंधित आबकारी गोदाम में निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद आगरा के बंधित गोदाम में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 256.06 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-49 ई-1/तेरह-13-499(2)/2011 दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा रू0 101.50 लाख की अवमुक्त की गई धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू0 76.13 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 25.37 लाख व्यय किये जाने तथा अवशेष कार्य के निर्माण हेतु रू0 154.56 लाख अवमुक्त किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या-सी 2427/तीन-लेखा-42, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2013 के अनुक्रम में प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 154.56 (रूपये एक करोड़ चौवन लाख छप्पन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-49 ई-1/तेरह-13- 499(2)/2011 दिनांक 11 फरवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित् किया जायेगा। एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित् कर लिया जाय।

4. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-1 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 04-जनपद आगरा में बंधित आबकारी गोदाम में कार्याल भवन का निर्माण कार्य -24 बृहद् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(मधु माथुर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या- (1) ई-1/तेरह-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा।
5. कोषाधिकारी, आगरा।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in